भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1648

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

विद्युत प्रापण समझौते

1648. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री बलवंत बसवंत वानखेडेः
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य वितरण कम्पनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत प्रापण समझौतों की प्रतीक्षा कर रही मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर करने में की जा रही अनिच्छा या विलंब, जिससे परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने 50 गीगावाट के वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन लक्ष्य और देश के 2030 के लक्ष्य पर इस बैकलॉग के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लगातार घाटे और चूकों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकों के लिए अधिक विश्वसनीय प्रापण तंत्र और भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुधारों या प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्यस्थ खरीददार के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) अर्थात सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) तथा एसवेजीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा जारी की गई निविदाओं के संबंध में, 43,922 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत क्षमता है, जिसके लिए आरईआईए द्वारा आवंटन पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं परन्तु अंतिम-खरीदारों के साथ विद्युत बिक्री करारों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख): सरकार ने विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) में शीघ्रता लाने के लिए विभिन्न सकारात्मक उपाए किए हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की अनुपालना के लिए राज्यों को समझाना, निविदाएं आमंत्रित करने से पहले डिस्कॉम/अन्य उपभोक्ताओं से कुल मांग पर विचार करने और तदनुसार उत्पादों को डिजाइन करने के लिए आरईआईए को समझाना, चिंताओं का समाधान करने और पीएसए पर हस्ताक्षर में शीघ्रता लाने के लिए प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा-खरीद करने वाले राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना, और

एलओए की तिथि से 12 माह से अधिक समय के बाद एलओए को रद्द करने का प्रावधान करने के लिए सौर, पवन, हाइब्रिड और एफडीआरई (सतत एवं प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए मानक बोली दिशानिर्देशों में संशोधन करना शामिल है।

(ग): जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सचिवालय को भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के एक भाग के रूप में, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने जून 2025 तक अपनी कुल विद्युत् स्थापित क्षमता का 50%, अर्थात हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता से पांच वर्ष पहले, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30 जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट हैं, जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 242.78 गीगावाट अर्थात 50.08 प्रतिशत है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 242.78 गीगावाट में से 116.25 गीगावाट सौर ऊर्जा, 51.67 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.60 गीगावाट जैव (बायो) ऊर्जा, 54.48 गीगावाट जल विद्युत, तथा 8.78 गीगावाट परमाणु विद्युत क्षमता शामिल है।

(घ): भुगतान सुरक्षा तंत्र के संबंध में प्रावधानों के साथ पीएसए (विद्युत बिक्री करार) के निष्पादन में सफलता के लिए परिवर्तनों/सुधारों पर परीक्षण तथा सुझाव एक निरंतर प्रक्रिया है।

****